लखनऊ में जुलूसों को लेकर

शीआ सुन्नी समझौता

ऐसे महल पे दोस्तो! रख़्नागरी है ख़ुदकुशी
हम भी उसी जहाज़ में तुम भी उसी जहाज़ में (सफ़ी लखनऊ)

हैदरे कर्रार(अ.स.)के शियो!

1969, 1974, 1998, 1999 में शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के बीच समझौते हुए हैं। हम समझते हैं आम जनता क्या ख़ास लोगों में भी बहुमत को इन समझौतों के प्रालेख (Text) की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ख़ुदग़र्ज़ मतलबी स्वार्थी लोग जन साधारण में ग़लतफहमियाँ फैलाते रहते हैं।

कुछ लोग मौलाना कल्बे जवाद साहिब पर इल्ज़ाम धरते हैं और दावा करते हैं कि हमारा इस जुलूस से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें मदहे सहाबा किसी रूप में बर्दाश्त नहीं। इसी तरह मिम्बरों से सीना ठोंक कर यह बात की जाती है कि हम तबर्राई हैं और खुले आम तबर्रा पढ़ना हमारा अधिकार है और मौलाना कल्बे जवाद सच्चे शिया नहीं हैं क्योंकि वह खुल्लम खुल्ला तबर्रा पढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इन समझौतों के Text से इन तथाकथित लीडरों के झूठ का भांडा फूट जाता है क्योंकि 1969 और 1974 के समझौतों पर उनके हस्ताक्षर हैं जिनमें बड़े खुलेमन से सुन्नियों को मद्हे सहाबा पढ़ने की अनुमति दी गयी है और समझौता किया गया है कि शिया खुल्लम खुल्ला तबर्रा नहीं पढ़ेंगे।

आप स्वयं अवलोकन कर लें कि 1998 के समझौते में साफ़ रूप से सुन्नियों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गयी है और उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है कि वे अपने जुलूस का जो दिल चाहे नाम रखें, शियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। 1999 के समझौते से है स्पष्ट रूप से है कि सुन्नियों ने अपने जुलूस का नाम 'मदहे सहाबा' रखा है। मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला ने अमीरुल उलमा जनाब मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहिब क़िबला को समर्थन का फैक्स भेजा जिसमें साफ़ तरह से लिखा, क्योंकि जुलूस का नाम सुन्नियों ने स्वयं रखा है और शियों और सरकार के नाम का कोई लगाव नहीं इसलिए समझौता मानने में कोई हरज नहीं। इस फैक्स की फोटोकापी भी समझौते के साथ संलग्न है।

बड़े बल से यह बात कही जाती है कि मौलाना कल्बे जवाद ने अपने बड़ों के तरीक़े को तज दिया है। इनके बुज़ुर्गों ने तबर्रा एजीटेशन में भाग लिया था और ये तबर्रा के विरोधी है इस सिलसिले में यह सच्चाई दृष्टि के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि सही

अर्थों में नेता वही है जो काल और परिस्थितियों को देखते हुए जाति समुदाय के हित में निर्णय करे। परिस्थियों के बदलने के साथ फ़ैसले बदलना पड़ते हैं। रसूल हज़रत मुहम्मद स0 जिन्होंने बद्र, उहद, ख़ैबर, ख़न्दक़ के युद्धों में कमाण्ड किया वही अली अ0 जिनकी तलवार युद्धों में मौत की प्रतीक समझी जाती थी, हुदैबिया सन्धि के अवसर पर उन्हीं हाथों में क़लम था और सन्धि–पत्र देखने में दबी हुई शर्तों (प्रतिबद्धताओं) से लिखा जा रहा था। तो क्या किसी में साहस है कि कह सके कि चरित्र बदल गये हैं। उसी तरह से मौला अली अ0 पच्चीस साल तक चुप रहे और तलवार की बेंट पर हाथ न गया, फिर दुनिया ने देखा कि वही अली अ0 जमल, नहरवान और सिफ़्फ़ीन में दुश्मनों के लिए ईश्वरीय प्रकोप का रूप बने हुए हैं। तो क्या कोई कह सकता है कि अली अ0 अपना चरित्र बदलते रहे। बल्कि सच्चाई यह है कि परिस्थितयों के अनुसार फैसले बदलते रहे।

इसी तरह मुजाहिदे मिल्लत (समुदाय संग्रामी) जनाब अशरफ हुसैन साहिब एडवोकेट वह व्यक्ति है जिन्हें मुजाहिदे मिल्लत की उपाधि तबर्रा एजीटेशन में मिली थी, 1969 के समझौते पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि हम सार्वजनिक मार्ग पर तबर्रा नहीं पढ़ेंगे, क्या कोई उनके लिए कहेगा कि अपना चरित्र बदल दिया। उसी तरह से शेरे हिन्दुस्तान मौलाना सैयद मुज़फ्फर हुसैन ताहिर जरवली साहिब जो तबर्रा के प्रसिद्ध समर्थक हैं, उनके हस्ताक्षर भी 1969 और 1974 के समझौतों पर मौजूद हैं। मौलाना कल्बे जवाद पर एतिराज़ है कि बुज़ुर्गों के चरित्र पर नहीं चल रहे हैं। मगर यहाँ तो इन बुज़ुर्गों पर यह एतिराज हो सकता है कि ख़ुद अपना चरित्र बदल दिया मगर यह एतिराज़ इस लिए ठीक नहीं है कि सचेत लीडर वही होते हैं जो परिस्थतियों के अनुसार फैसले किया करते हैं।

1977 में जब अज़ादारी पर रोक लगी तो अली कांग्रेस के बहुत से लड़के जनाब मौलाना ताहिर जरवली साहिब की सेवा में गये और उनसे कहा कि चलिये तबर्रा के लिए निकलते हैं तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अब तबर्रा का अवसर नहीं है। इसका मतलब है कि उनको भी एहसास था कि समय बदल गया है इसलिए फैसले भी बदलना पड़ेंगे। 1998 और 1999 के समझौते स्वयं इस सोच के प्रतीक हैं कि समुदाय के कल्याण के लिए किस समय क्या फैसले लेना चाहिए।

मौलाना कल्बे जवाद ने एक बार जुमे के ख़ुतबे (प्रवचन) में एलान किया था कि अगर किसी को समझौते पर हस्ताक्षर नकारना है सीधे डी0एम0 को पत्र लिखे कि हमारे हस्ताक्षर समझौते पर नहीं हैं, मिंबरों से मौखिक नकारने का मतलब केवल क़ौम समुदाय को धोखा देना होगा। सभी ग़लतफहमियों को दूर करने के लिए नूरे हिदायत फाउण्डेशन समझौतों और जनाब मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला के समर्थन फैक्स को प्रकाशित कर रहा है।

नूरे हिदायत फाउण्डेशन

इमामबाड़ा गुफ़रान मआब, मौलाना कल्बे हुसैन मार्ग, चौक, लखनऊ–3

-152- Azn 1961 2

SHIA SUNNI COMPROMISE

AGREEMENT OF 1969.

OVERNMENT PRESS NOTE DATED 25TH SEPTEMBER 1969.

The Chief Minister convened a conference of the Leaders of the Shia and Sunni Sects in the own last evening to strike a settlement between the wo sects. After prolonged discussions, they came to agreement about the manner of conduct of religious Milads, Majlises, Alams, Processions, etc. The text of the agreement reached between the two sects is as follows :-

. The Shias will take out their Alams and process-ons and hold their usual Milads but they will not recite Tabarra in any public place in any manner. In their Milads, the Shias will praise the Prophet and their Imams etc. in a manner that it does not hurt the religious feelings and susceptibilities of Sunnis.

. The Sunnies will hold their Milads in the usual manner in which they will describe the life, teachings and achievements of prophet and his companions in the manner they have been doing so hitherto. Praise of Prophet and his companions in such Milads will be recit-ed in such a manner that it does not hurt the religious feelings and susceptibilities of Shias.

Contd/-...

-125-

3. There will be no innovation in the matter of Alams, Mileds, Majlises and processions. The existing Milads, Alams, Majlises and processions as recorded in the festivals register will be binding on the parties and there will be no counter Milads or functions organised by either party and both parties will avoid doing anything calculated to injure the religious feelings and susceptibilities of each other.

In view of the compromise between the two sects, the Government have released the seven persons who had been detained, under the preventive Detention Act, in connection with the dispute between the Shias and Sunnis of the town.

1.	Syed Ashraf Husain, Advocate	1.	Nazir Ahmad Advocate
2.	Maulana Syed Muzaffar Hussain Tahir Jarwali	2.	Cari Mohd. Siddigu
3.	Maulana Kalbe Sadiq	3.	Saghir Ahmad Advocate
4.	Maulana Syed Ali Nasir Saeed	4.	Hali Vasi Ahmad Chrari
5.	Maulana Sadrat Hussain	5.	Haji Amin Salonvi
6.	Maulana Mirza Mohd Alim	6.	Haji Zeinulabedeen

Contd/-...